अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.िन. 302(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय समूह 'ख' पद राजपत्रित अभियोजक 2 भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक के पदों पर भर्ती की पद्धीत का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरहिताएं- वह व्यक्ति, -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है: उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचींन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी. जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों. अनुसूचित जनजातियों. भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड चयन अथवा
			वेतन या वेतनमान अचयन पट
(1)	(2)	(3)	(4) (5)
1. अभियोजक	5 (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-	वेतन बैंड-2, लागू नहीं होत
2	*कार्यभार के आधार पर	'ख' राजपन्नित, अननुसचिवीय	9300 - 34800 रुपए : (
	परिवर्तन किया जा		- ग्रेड वेतन ४४००
	सकता है।	77	रुपए

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए	परीवीक्षा की
आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	जाने वाले	अवधि, यदि कोई
		व्यक्तियों के लिए	हो।
		विहित आयु	
		और शैक्षिक	
		अर्हताएं प्रोन्नत	
	-	व्यक्तियों की	
		दशा में लागू	
		होगी या नहीं	a 2
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक	लागू नहीं होता	दो सप्ताह की अवधि
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी	(i) किसी भी विषय में स्नातक : विधि में		का अनिवार्य प्रवेश
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	बैचलर डिग्री तथा किसी सरकारी संगठन	e special	प्रशिक्षण
सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक	मुकदमें बाजी और न्यायालय मामले/विधि		सफलतापूर्वक पूरा
शिथिल की जा सकती है)	के प्रशासन में एक वर्ष का अनुभव: या		करने के अधीन रहते
टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने के	(ii) विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत		हुए दो वर्ष।
लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों	स्नातक किसी सरकारी संगठन में		•
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	मुकदमेबाजी करने तथा न्यायालय		
अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम	मामले/विधि के प्रशासन में दो वर्ष का	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
तारीख जो असम् मेघालय, अरूणाचल	अनुभवः	1	
प्रदेश, मिजोरम, मणिपर, नागालैंड, त्रिपुरा,	वांछनीय	明初787	
सिक्किम, जम्मु-कश्मीर राज्य के लदाख	(i) कारपोरेट/दांडिक विधि मामले में एक वर्ष का	9	
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति	अतिरिक्तं अनुभव	ত ভালপ	8
जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड,	(ii) विधि में मास्टर (एम.एल.एम.)		4
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित	1	£-
अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।	अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो		
	लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के		
	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
2.	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन	4	
1	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक	ì	:
		•	

सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) (11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं: या
 - (ii) जिन्होंने मूल काहर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 स्पए ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष क्षेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होंने मूल काहर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रूपए → ग्रेड वेतन 4200 रूपए या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा बिहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:

टिप्पण:

- (i) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा । जनवरी. 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनिरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
- (ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से		
		परामर्श किया जाएगा	4	
(12)		(13)	. / *	
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभाग	ोय पुष्टि समिति	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करन	।। आवश्यक है।	
(1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-अध्यक्ष		8	
(2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-सदस्य			
(3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-सदस्य			

(1)	(2)	(3.)	(4)	(5)
. ज्येष्ठ अभियोजक	5* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह- •खं राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3. 15600-39100 स्पर् ग्रेड वेतन 5400 स्पर्	्रियामू नहीं हो
(6)	. [(7)	(8)	: (9)
लाग् नहीं होता		लाग नहीं होता	लाग नहीं होता	दो वर्ष

(10)

50 प्रतिशत प्रोन्ति द्वारा विसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा विसके ॲतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है,

50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं। (11)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नतिः वेतन बैंड-2 9300-34,800 रूपये । ग्रेड वेतन 4800 रूपये में ऐसे विभागीय अभियोजक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण:

1. जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहंता पात्रता सेवा पृश्ं कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु वह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या वो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पृश्चे कर ली है. अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा की अविध सफलातपूर्वक पूरी कर ली हो।

2. प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रश्नोबन के लिए किसी अधिकारी द्वरा 1.1.2006 से पहले या उस वारीख से विससे छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन योग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित व

प्रतिनियुक्तिः

(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानृनी या स्वायत्त निकार्यों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(ख) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में बेतन बैंड-2, 9300-34,800 स्पए ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रूपंए ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:

आवश्यकः

(क) (i) किसी भी विषय में स्नातक + विधि में बैचलर डिग्री तथा किसी सरकारी संगठन में मुकदमें बाजी और न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव या

(ii) विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक किसी सरकारी संगठन में मुकदमेबाजी करने तथा न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन में तीन वर्ष का अनुभवः

वांछनीय

- (i) कारपोरेट/दांडिक विधि मामले में एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव
- (ii) विधि में मास्टर (एल.एल.एम.)

टिप्पण:

- (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काहर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा । जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है. नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन याँ वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पर्दो) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)	
पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति		संघ लोक सेवा आयोग से पराभर्श करना आवश्यक है।	
(1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-अध्यक्ष		
(2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-सदस्य		**************************************
(3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-सदस्य		
(1957 N 11 -35011/28/	2009-7211 1111

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2016

- G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 21,1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office. Ministry of Corporate Affairs Group "B" Post Gazetted Prosecutor-II Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Prosecutor and Senior Prosecutor in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely:
- 1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs. Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette:
- 2. Application. These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, Age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment. Age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualifications.-No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.-There the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Prosecutor.	05 * (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-B Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational	1 /
	r and concational (probation. If
an ect restants.	qualifications	any
	'	/ /
		1
(7)	(8)	(9)
Essential	Not Applicable	Two years
(1) Graduate in any discipline plus bachelor's		subject to successful
degree in Law plus I year experience in handling	•	
		जन्मभूखांका व
in a Government organization; or		mandators induction
All be counted and and in the 15 count departies	1	्राच्याता <u>ल</u> वर्ष
1 7 7		luoneds
	7	duration.
1		1 53584 46544 651
Covernment organization.		£
<u>Desirable</u>		1
(I) additional one year experience in	5	
corporate/criminal Law matteRs.		1
· ·		
qualified.		i
Note 2: The qualification(s) regarding experience	1	
is/are relaxable at the discretion of the Union		
Public Service Commission, for reasons to be	1	È
recorded in writing in the case of candidates		
	- 1	Ž M
		4 54 54
, ,	1	
sufficient number of candidates from these		
communities possessing the requisite experience	4	
are not likely to be available to fill up the	1	
vacancies reserved for them.		
	(1) Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law plus I year experience in-handling litigation & court matters/administration of Law in a Government organization; or (II) Integrated graduate in Law (5 years duration) plus 2 years' experience in handling litigation & court matters/ administration of Law in a Government organization. Desirable (I) additional one year experience in corporate/criminal Law matteRs. (II) Masters in Law (LLM). Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission- for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the	prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes. (7) Essential (1) Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law plus I year experience in bandling litigation & court matters/administration of Law in a Government organization; or (11) Integrated graduate in Law (5 years duration) plus 2 years' experience in handling litigation & court matters/ administration of Law in a Government organization. Desirable (1) additional one year experience in corporate/criminal Law matteRs. (11) Masters in Law (LLM). Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from Method of recruitment whether by which promotion or deputation or absorption to be made. direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods. (10)Deputation (Including Short-term Contract) By Direct Recruitment Failing which by Deputation (Including Short-term Officers from the Central Government or State Governments or Union Contract). Territories or Pubic Sector Undertakings or Autonomous and Statutory bodies : (A)(1) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre-department: OT (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent. Cadre or Department: or

- (III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent. Cadre or Department; and
- (B) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits in Col 7.

Note: [i] For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay-pay scale and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay-pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(ii) Period of deputation including period of deputation [including short-term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be for a period of three years. The maximum Age-limit for appointment by deputation [including short-term contract] shall be and exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
Si.	(12)			(13)	→	
considering confirma (1) Director, Serious (2) Additional Direct	ntal Confirmation Contion: Fraud Investigation O or, Serious Fraud Inve . Ministry of Corpora	office -Chairman; estigation Office - Member:	Consultat		ic Service Commission	
(1)	(2)	(3)	-1	(4)	(5)	
2. Senior Prosecutor.	5 * (2016) *Subject to variation dependent on the ** workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Non- Ministerial	Pay band-3 Rs. 15600- 39100 plus grade pay of Rs. 5400.		ीरल वाभूगांटवांगट	
	1	(7)	- 1	(8)	T (9)	
(6)				Not applicable		

50% by Promotion Failing which by Deputation including shortterm contract, 50% by Deputation Including Short-Term Contract.

(10)

<u>Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract)</u>
Promotion:

The Departmental Prosecutor in Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Ks. 4800 with two years of regular service in the grade.

Note 1 – Where Juniors have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are

not short of the requisite qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service

Note 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission

Deputation (Including Short-Term Contract)

Officers under the Central/State Government /union territories public sector undertakings/statutory and autonomous bodies

- (A) (1) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 1800 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (111) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 46th or equivalent in the parent cadre or department; and
- (B) Possessing the following educational qualifications and experience

Essential:-

- (A)(I) Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law plus two years experience in handling litigation & court matters/administration of Law in a Government organization; or
- (II) Integrated graduate in Law (5 years duration) plus 3 years experience in handling litigation & court matters/administration of Law in a Covernment organization.

Desirable

(1) Additional One year experience in corporate/criminal Law matteRs.

(II)Masters in Law (LLM).

Note: [i] Period of deputation including period of deputation [including short-term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be for a period of three yeaRs. The maximum Age-limit for appointment by deputation [including short-term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.

(ii): For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)	14	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee for consideration:	cring	Consultation with Union Commission necessary.	a Public S	ervice
 Director, Serious Fraud Investigation Office Additional Director, Serious Fraud Investigation Office Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs 	-Chairman: - Member: - Member.			